



२०१५

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 1394 / 05 / 76 / एक / 2015—16  
सेवा में,

दिनांक : ०७ जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभियान  
जनपद—रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015—16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या—37 / 83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त दर दी गई हैं—

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	230.624 (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती / वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० शाहबाद गेट में अली ब्रदर्स शाप से जाहित भाई के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.397
2	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० शाहबाद गेट में कोहिनूर डिपो वाली गली में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.624
3	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० शाहबाद गेट में वेलकम पेन्ट वाली गली में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.348
4	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० शाहबाद गेट में मेसर्स डेरी से अजीत खॉ के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.556
5	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० कोतवालान में डा० फरीद उल्ला के मकान से सितवत खॉ के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.669
6	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० कोतवालान में दिल्लू भाई के मकान से मक्क्युल भाई के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.538
7	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० बरेली रोड शान मेरी जाल के बराबर अली खॉ के मकान से रईस भाई के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.914
8	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० बरेली रोड शान मेरी जाल के बराबर अली खॉ के मकान से रईस भाई के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	10.525
9	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० बढ़ैयां वाली मस्जिद में ईदगाह गेट से जाहिद के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.775
10	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० बढ़ैयां वाली मस्जिद में ईदगाह गेट के मोड़ बढ़ैयां वाली मस्जिद तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.024
11	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० मजार टाट शाह मिया में हिदायत खॉ के घर से बच्छन खां के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.273
12	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घर बक्शी में नासिर खॉ के मकान से महवूब कुरैसी के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.735



209/2

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
13	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर खक्खी में शाविर भाई के मकान से कब्रस्तान/पक्के बाग की मेन सड़क तक मजार शाह दरगाह वाले रोड तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	9.969
14	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० राजद्वारा खोड में भूरा प्रधान (हेड पोस्ट आफिस के सामने) के मकान से शाहित भाई एवं ए०वी०आई०एस० टेलर हास्पिटल मोड तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.443
15	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० राजद्वारा खोड में कार खैकचोर कारखाने से पील मस्जिद मोड तक एवं पनिया पीर के मजार तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	16.166
16	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० पक्का पुल में पक्के बाग की मेन सड़क से पक्के पुल की अखतर भाई के मकान से होते हुए पक्के पुल की मस्जिद तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.271
17	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० शाहजोन शाह के सामने मढ़ौया नादबाद में मास्टर फहीम के मकान से शनू खाँ रिपोर्टर के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	20.832
18	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर मुहाव खाँ में रियासत भाई के मकान से हैदर भाई के मकान तक हैदर भाई के मकान से मुन्ने गोसिया वाले के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.030
19	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर सलामत खाँ में मस्जिद से राहत भाई खलील भाई के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.019
20	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० चाकेसर से सुजात के मकान से परवेज, नाजिम पब्लिक स्कूल तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.091
21	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० उच्चा नक्कालान से करामत उल्ला के मकान से मासूक मस्जिद असगर भाई के परचून की दुकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.082
22	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर पूरने सिंह में शकील भाई के मकान से पूरन सिंह, रईस भाई व रफीक भाई के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.078
23	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० झण्डा में रफीक भाई के मकान से हरसहाय, आनन्द कुमार परवेज, सन्तोष बहादुर के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.828
24	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० इमली बतनिया में खुसरों मियां के मकान से मुमताज भाई लिटिल प्लाम्बर मन्दिर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	11.259
25	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर इनायतउल्ला खाँ में कलीम इरोजा के मकान से सगिर खाँ के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.014
26	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर इनायतउल्ला खाँ में नहें खाँ के मकान से कल्वा के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.321
27	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर इनायतउल्ला खाँ में जाबर के घर से रफी के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.317
28	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर इनायतउल्ला खाँ में सलीम के मकान से महबूब के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.801
29	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर इनायतउल्ला खाँ में मुने साहब के मकान से इकराम खाँ के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.029



२०१३

दूरभाष— 2286709  
2286710  
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
30	रामपुर	अल्पसंख्यक—३७ बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० बेरिया बग्रिया में जोखू राम के मकान से (दुर्गा देवी डिपो के मकान) सलीम के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.344
31	रामपुर	अल्पसंख्यक—३७ बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घोर फारुखशाह खां में मंसूर भाई के दुकान से यूनुस भाई, सफीक भाई के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.657
32	रामपुर	अल्पसंख्यक—३७ बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घोर फारुख शाह खां में मदरसा इमाम रजा से थाना चौकी हाजियाने मोड तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.302
33	रामपुर	अल्पसंख्यक—३७ बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० अंगूर वाली मस्जिद में ताहिर भाई के दुकान से इलियास भाई सईद मण्डी वाले मस्जिद अफरफ खां के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.155
34	रामपुर	अल्पसंख्यक—३७ बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० अंगूर वाली मस्जिद में मुरसद मियॉ की दुकान से सईद भाई के दुकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	20.362
35	रामपुर	अल्पसंख्यक—३७ बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० चौकी टीन में अमीषा के मकान से सुरजीत, मस्जिद खरसे वाली तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	10.187
36	रामपुर	अल्पसंख्यक—३७ बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० चौकी टीन में साबिर भाई के मकान से सज्जन भाई के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.904
37	रामपुर	अल्पसंख्यक—३७ बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० चौकी टीन में रशीद भाई के दुन से मोहम्मद दीन, ठेकेदार के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.785
	योग				230.624

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



१०९/५

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि छूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित आधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक